ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान काल में संचालित ग्रामीण विकास की योजनायें : एक आकलन

शोधपत्र–राजनीति विज्ञान

* डॉ. (श्रीमती) रमा शर्मा

भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत की आत्मा ग्रामों में निवास करती है। हमारा देश प्राचीनकाल से ही 'सोने की चिड़ियाँ' के नाम से प्रसिद्ध रहा हैं। पिछली दो शताब्दियों से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाये घटित हुई कि ग्रामों का स्वरूप ही बदल गया। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात के विकसित साधनों ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी ग्राम परावलम्बी होते चले गये तथा सुसंगठित गांवों में विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने लगी। ग्रामीण जन शहरों की ओर आकर्षित होने लगे क्योंकि हमारी ग्रामीण व्यवस्था अनेक समस्याओं से ग्रसित हो गई। ग्रामों में गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता तथा कृषि से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, फलतः उनकी स्थिति खराब होती चली गई। भारत लगभग 200 वर्ष तक अग्रेंजो की दासता में रहा। अग्रेंजी शासनकाल में ग्रामों की दशा सुधारने की दिशा में कोई विषेष प्रयास नहीं किया गया। इस कारण ग्रामों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण हमारे देश में चल रहे कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस ओर सरकार सहित अनेक स्वयंसेवी अभिकरणों ने सकारात्मक प्रयास प्रारम्भ किये। भारत में ग्रामीण विकास के उद्‌भव तथा विकास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं :– (1) स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण विकास। (2) स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण विकास–ग्रामीण विकास का सही अर्थ गांवों में "गरीबी की रेखा" से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और गांवों को खुशहाल बनाना है।[1] इस प्रक्रिया में आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। आर्थिक पहलू से तात्पर्य आय उत्पादन रोजगार, व्यवसायिक चेतना से है। सामाजिक पहलू के तात्पर्य समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता छुआछूत आदि को दूर करना हैं। 17वीं शताब्दी में ऐच्छिक प्रयासों के रूप में ग्रामीण विकास भारत में प्रारम्भ हुआ वों सर्वप्रथम फ्रेण्ड्स ऑफ क्वैकर' नाम की एक धार्मिक संस्था का निर्माण सन् 1866 में किया गया जिसने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने का बीड़ा उठाया। भारत में इस संस्था की स्थापना रहेल मेट्‌कॉक नामक ब्रिटिश महिला ने की, उन्होंने इग्लैण्ड से भारत आकर यहां सामाजिक पुनर्गठन परियोजना आरम्भ करने की श्रीगणेश किया।

सन् 1865–66 में सरकारी प्रयासों के रूप मे मद्रास तथा बम्बई के शासकों को यह अधिकार दिया गया कि वे भूमि पर कर लगाये और उस आय से ग्राम्य विकास करे।[2] लेकिन इन दोनों जगहों पर समूह व संगठन के स्तर पर गांवों के अस्तित्व को नकार दिया। जबकि मद्रास में मुनरों और बम्बई में एलफिंस्टन ने सन् 1868 में ग्रामीण समाजों की प्राचीनता् और प्रशासनिक कार्यकारिता पर बहुत बल दिया।[3] सामाजिक तथा आर्थिक र्दुव्यवस्था के शिकार बंधुआ मजदूरों की मुक्ति तथा कल्याण के लिए अनेक प्रयास किये गये। ये प्रयास राष्ट्रवादी नेताओं और थोड़े से अग्रेंज प्रशासकों की सहानुभूति पर किये गये। सन् 1870 में लार्ड मेयो द्वारा स्वषासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र में आर्थिक विकेन्द्रीकरण करके उठाया। 18 मई 1882 को लार्ड रिपन को स्थानीय स्वषासन सरकारों का "मेग्नाकार्टा" कहा गया और लार्ड रिपन को भारत में "स्थानीय स्वषासन का जनक" स्वीकारा गया। लार्ड रिपन ने सुझाव दिया कि सुधार स्थानीय अभिकरणों के माध्यम से आने चाहिए। सन् 1885 में भारत में ग्रामीण विकास के उद्देश्य से बडौदा प्रान्त में ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्म किये गये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 सितम्बर 1885 में हुई। उसमें ग्रामीण विकास के लक्ष्यों की ओर प्रतिबद्धता दिखाई,

* प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, कोटा (राज.)

किन्तु इस बीच दुर्भाग्यवश भारत में सन् 1895 से 96, व 1899 से 1900 में अकाल पड़े, जिसके फलस्वरूप स्थिति बिगड़ गई और सुधार कार्य ठप्प हो गये। अकाल से सामना करने के लिए सरकार के द्वारा सन् 1890, 1898 तथा 1901 में अकाल आयोग नियुक्त किये गये जिनके सुझावों के आधार पर भूमि सुधार, कृषि ऋण आदि के कानून बने। प्रारम्भ में सरकारी कार्यो के रूप में ग्रामीण विकास 'लेसेज–फेयर' के विकल्प की खोज में शुरू किया गया।[4] ग्रामीण विकास के कार्यो को स्वेच्छापूर्वक प्रारम्भ किया गया था। इन विकास कार्यो के पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। 1916 में ग्रामीण पुनर्गठन के इतिहास में एक नया मोड़ आया जब होंशगाबाद के रासूलिया परिसर में एक रासूलिया कार्याशला स्थापित की गई, इसमें प्रशिक्षणार्थियों को फर्नीचर निर्माण कार्य सिखाया गया और उनके द्वारा तैयार किये गये माल को स्थानीय बाजार में बिकवाने की व्यवस्था की गई। 1916 तथा 1920 के मध्य में आदिवासियों के द्वारा सुधार आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने इस क्षेत्र में रूचि लेते हुए सन् 1921 में ग्रामीण पुर्ननिर्माण तथा श्री निकेतन संस्थान की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य गांवो के जीवन में पूर्णता लाना था। इसी वर्ष सन् 1921 में ही एफ. एल. बेयन ने गुरगांव योजना तथा स्पेन्सर हैच ने 'मार्तदण्ड योजना' प्रारम्भ की। जिसका उद्देश्य ग्रामीण व्यक्तियों का आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक सभी दृष्टियों से पूर्ण विकास करना था। सन् 1922 में स्वराज्य आश्रम की स्थापना बडौदा में मगनलाल गांधी द्वारा की गई। इस आश्रम के द्वारा ग्रामीणों को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया गया। इससे ग्रामीण विकास को प्रभावी बल मिला।

महात्मा गांधी का ग्रामीण विकास में योगदान—राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास को जनसमर्थन देते हुए एक आन्दोलन का रूप प्रदान किया। गांधीजी ने ग्राम विकास के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया तथा इसकी सशक्त वकालात भी की। कुटीर उद्योग धन्धों की स्थापना, हरिजन उद्धार, छुआछूत उन्मूलन तथा समाज के निम्नतर वर्ग के उद्धार पर प्रमुख बल दिया। यह सभी कार्य अन्त्योदय के नाम से जाने गये। इसमें निम्नलिखित बातों को प्रमुखता दी गई :–

(1) खादी का प्रयोजन (2)ग्रामीण उद्योगों का विस्तार (3) छुआछूत का उन्मूलन (4) आधारभूत तथा प्रौढ़ शिक्षा (5) ग्राम स्वच्छता (6) स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान (7) सामुदायिक सद्भाव (8) महिला उत्थान (9) राष्ट्रभाषा का प्रचार (10) नशाबन्दी आदि गांधीजी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का विकेन्दीकरण करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया था। उनका मानना था कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी हो। सन् 1909, 1919 तथा 1935 के भारत शासन अधिनियमों में भी स्वशासन की व्यवस्था को अपनाते हुए प्रान्तों को इस क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार प्रदान किये। प्रत्येक प्रान्त में ग्राम पंचायतों के विकास हेतु कानून बनाये गये। कांगेसी सरकार के शासन काल में बिहार में 1938 में ग्रामीण विकास विभाग, बम्बई में ग्रामीण पुर्ननिर्माण विभाग, बंगाल में ग्राम विकास विभाग तथा उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय ग्राम विकास विभाग खोले गये। इसी मध्य में 1938 में ही ग्रामीण विकास हेतु पुर्नगठन केन्द्र खोले गये। इस बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसकी वजह से विभिन्न विकास कार्य अवरूद्ध हो गये।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नवीन स्वदेशी सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता के साथ अपनाकर सरकारी नीति का एक प्रमुख अंग बना लिया। सरकार द्वारा व्यवस्थित प्रयास प्रारम्भ किये गये। ये व्यवस्थित प्रयास हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आधार स्तम्भ बने। सर्व प्रथम सन् 1948 में महवा क्षेत्र में जो कि उत्तर प्रदेश में है, के इटावा जिले से आठ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित एक पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया। जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 64 गांवों को लिया गया। पंजाब में फरीदाबाद और नीलोखेरी में भी इस दिशा में प्रयास किये गये। नीलोखेरी प्रयास 'मजदूर मंजिल' कहलाया क्योंकि यह इस सिद्धान्त पर आधारित था कि "जो काम नहीं करेगा वह खाना भी नहीं खायेगा" इटावा पायलेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य कृषिगत उत्पादन में सुधार के साथ–साथ सामाजिक सुधार, ग्रामीण जनता में आत्म विश्वास और सहयोग भी विकसित किया जावें। 1949 में ''आर्थिक अन्न उपजाओं आन्दोलन'' प्रारम्भ हुआ। 18 अप्रेल 1949 में विनावा भावे के नेतृतव में भूदान आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। सन् 1949 में ही ग्रामदान व श्रमदान नामक आन्दोलन चलाये गये जोकि ग्रामीण विकास से सम्बन्धित थे। देश के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने सन् 1950 में योजना आयोग का गठन किया जिसका कार्य देश के उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व सम्पूर्ण विकास के दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो

कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे, वे निम्नलिखित है :–[5](1) देश के कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि (2) संचार व्यवस्था तथा ग्रामीण जन स्वास्थ्य में सुधार (3) ग्राम शिक्षा में सुधार लाना। (4) ग्रामों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखते हुए एकीकृत, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की पहल तथा निर्देशित करना। हमारे नवीन् संविधान द्वारा भाग 4 के 16 अनुच्छेदों में (अनु0 36 से 51 तक) नीति निर्देशक तत्वों में इन लोक कल्याणकारी कार्यो का उल्लेख किया गया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम :– यह प्रथम पंचवर्शीय योजना में 1951–56 में 2 अक्टूबर 1952 में लागू किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास था।[6] इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) को प्रारम्भ किया। इनका उद्देश्य विकास खण्ड के लिए संगठन प्रदान करना तथा सेवाओं का विस्तार करना था। इन कार्यक्रम के साथ–साथ ही 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुभारम्भ किया गया। इसमें 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना करना स्वीकार किया गया। द्वितीय योजनाकाल में 1956–61 कुछ नये विकास कार्यक्रम लाये गये। इन योजनाओं के द्वारा ग्रामीण जन के लिए रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम जैसे घरेलू चरखा व हथकरघा आदि को प्रोत्साहन दिया गया।

2 अक्टूबर 1959 को बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों (1957) में ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया।

सघन कृषि जिला कार्यक्रमः–सन् 1960 में 'पैकेज कार्यक्रम तथा 1960 में ही सघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। खाद्यानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम से इस कार्यक्रम को लाया गया। यह कार्यक्रम अमेरिका की ''फोर्ड फाउण्डेशन'' की सहायता से उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में प्रयोग के तौर पर आरम्भ किया गया। 1961 में तृतीय पंचवर्शीय योजना का शुभारम्भ किया गया। भोजन में पौश्टिकता के तत्व को ध्यान में रखते हुए सन् 1969 में 'एप्लाइड न्यूट्रिशयन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। स्घन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम सन् 1964 में सघन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपनाया गया। ग्रामीण समाज का एक बड़ा वर्ग लघु सीमान्त कृषक वर्ग भूमिहीन श्रमिक इस कार्यक्रम से अलाभाविन्त रहा।[7] वित्तीय दबाव के कारण विकास कार्यक्रम को सीमित रखना पड़ा। 1956–66 में संकर बीजों के अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु ''हाईयील्डिंग वैरायटी'' कार्यक्रम लाया गया। यह नया उपागम इतना सफल रहा कि इस काल को ही ''हरित क्रांति'' का नाम दिया गया। सन् 1967 में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, 1968 में आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम, 1969 में ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम तथा महिलाओं व विधालय नहीं जाने वाले बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। तीन वार्शिक योजनाओं 1967, 1968, 1969 के द्वारा नियोजित विकास की प्रक्रिया को जैसे–तैसे जारी रखा गया। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम जिसका शुभारम्भ सन् 1970 में देश की विषाल जनशक्ति का प्रभावी उपयोग करने हेतु किया गया था। ग्रामों में बेरोजगारी व अर्द्ध बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण निर्माण कार्यो की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम :– सन् 1970–71 में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में बदल दिया, जिसका शुभारम्भ 1971 में किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण लोगों को ग्रामीण विकास कार्यो से रोजगार उपलब्ध करवाकर अभाव की स्थिति को कम करना था। उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में यह बात स्पष्ट रूप से अनुभव की गई कि इनसे होने वाले लाभों से समाज का कमजोर वर्ग, लघु सीमान्त तथा खेतिहर मजदूर उपेक्षित रहा। इसी तथ्य के प्रशासन के लिए दो नवीन अभिकरणों लघु कृषक विकास अभिकरण और सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूर अभिकरण एक निगम तथा स्वायत्त निकाय के रूप में जिला स्तर पर संगठित किये गये।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमः–सिंचाई के विकास से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास का व्यापक कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र में सन् 1974 में प्रारम्भ किया गया।[8] यह कार्यक्रय कृषि पर आधारित विकासवादी गतिविधियों पर भी बल देता है। 1974 में पांचती पंच वर्षीय योजना में गरीबी तथा बेकारी की समस्या का समाधान करने लिए रोजगार बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई, भू–संरक्षण, क्षेत्रीय विकास, पशुपालन वानिकी तथा समाज के कमजोर वर्ग को शामिल किया गया। 1 जुलाई 1975 को बीस सूत्रीय कार्यक्रम, 1977 मे काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया। इनका उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की संरचना को सुदृढ करना था।[9]

(9) मरूस्थल विकास कार्यक्रम :– सन् 1977–78 में मरूस्थलीय क्षेत्रो के विकास के लिए मरूस्थल विकास कार्यक्रम लाया गया, इसका लक्ष्य मरूस्थल को रोकना तथा स्थानीय साधनों को उपयोग में लेकर आय स्तर में वृद्धि करना था। इसके पश्चात् 1980 में छठी पंचवर्शीय

योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना में गरीबी पर सीधा प्रहार करने की नीति अपनाई गई। छठी योजना में पहले से संचालित अनेक कार्यक्रमों को समेकित करके सन् 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाया गया।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1980) :— यह एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसके अन्तर्गत बहुस्तर, बहुक्षेत्र और बहुवर्ग समाहित हो जाता है। इसमें सर्वाधिक गरीब को शामिल करते हुए उनके उत्थान हेतु समस्त साधनों की उपलब्धता करवाई जाती है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये—

(1) जीविकोपार्जन के साधनों में सुधार।
(2) संसाधनों का समान वितरण।
(3) ग्रामीण जन के जीवन स्तर में सुधार।
(4) आय तथा उपभोग के स्तर में सुधार।
(5) उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार।
(6) रोजगार के अवसरों का निर्माण करना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया हैं।

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में अगले चरण के रूप में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम सन1983 में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए दीर्घावधि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाया गया। इसके दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये— (1) प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिवस के रोजगार की गारण्टी देना। (2) ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ बनाने के लिए स्थायी महतव की परिसम्पतियों का सृजन करना।

जवाहर रोजगार योजना :— 1989 में ग्रामीण गरीब पर सीधा प्रहार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रस्तुत की गई। कमजोर वर्गो के लाभ के लिए चलाई जा रही इस योजना में कम से कम 100 दिवस रोजगार का लक्ष्य रखा गया व 30 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण महिलाओं के लिए रखा गया। इस महत्वाकांक्षी योजना में सभी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में 72वां संविधान विधेयक 16 सितम्बर 1991 को लाया गया। इस प्रकार हमने अनेक माध्यमों से विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए 21वीं शताब्दी की ओर कदम बढ़ाये। 1992 से 1997 में आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार संवर्धन, जनसंख्या नियन्त्रण, प्रारम्भिक शिक्षा व स्वास्थ्य पेयजल कृषिगत विकास व आधारभूत ढ़ाचे की मजबूती पर ध्यान दिया गया। पूर्व में प्रस्तुत 72वां संविधान संशोधन विधेयक जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। 24 अप्रेल 1993 को यह अधिनियम समस्त देश में लागू कर दिया गया। अक्टूबर 1993 से निर्धन परिवारों के लिए आश्वासित रोजगा योजना तथा 1993—94 से जवाहर रोजगार योजना द्वितीय प्रारम्भ की गई जिसका 1995—96 से केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त करके आश्वासित रोजगार योजना में समायोजित कर दी गई। भारत की नवीं योजना (1997—2002) में भी ग्रामीण विकास समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मिलाकर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई। 'काम के बदले अनाज' 17 नवम्बर 2004 को 150 अति पिछड़े जिलों में पूरक रोजगार सृजन के उद्देश्य से लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2008 (नरेगा) पारित किया है। यह एक बहुआयामी कार्यक्रम है, जिसमें प्रतयेक ग्रामीण बेरोजगार को 100 दिवस का काम अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जावेगा। इस प्रकार भारत में ग्रामीण विकास का जो अभियान 17वीं शताब्दी में बहुत धीमी गति से प्रारम्भ हुआ थां वह आज विकसित होकर सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य व प्रयास बन बया है। सभी सरकारें ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन को अपने लक्ष्य में शामिल करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. लल्लन त्रिवेदी, '' सरकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम'' कुरूक्षेत्र अंक—3 जनवरी 1996, 31—34 2. डांडवले एच.एच., ''दि केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (सन् 1850—1918) 132 3. भट्टाचार्य सव्यसांची, ''आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास (न्यू देहली राजकमल प्रकाशन, 1993) 33 4. मिश्रा बी.बी., ''डिसट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डवलपमेन्ट (न्यू देहली, आक्सफोर्ड वि.वि. प्रेस 1983) 387 5. गुप्ता एस.पी., ''प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट इन इण्डिया'' ए फ्रिटिक (न्यू देहली, विकास पब्लि. 1989) 25—26 6. चट्टापाध्याय बी.सी., '' करल डवलपमेन्ट प्लानिंग इन इण्डिया (न्यू देहली, एस. चाँद एण्ड कम्पनी लिमिटेड 1985) 22—22 7. थाहा एम. ओम प्रकाश, ''इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया (न्यू देहली, स्टेट ऑफ सीरीज 1988) 63—65 8. मोहित भट्टाचार्य, ''प्रभात के दत्ता '' गर्वनिंग रूरल इण्डिया (देहली, उप्पल पाठिल 1991) 205 9. शकुन्तला शर्मा, ''ग्रासरूट पॉलिटिक्स एण्ड पंचायती राज'' (न्यू देहली, दीप एण्ड दी पाठिल, 1994) 112—113 10. डा. आदर्श किशोर, ''लैण्ड, स्टेट एण्ड पावर्टी (जयपुर, अखिल पब्लि. 1995)203